an>

Title: Attacks on democratic and judicial institutions in the country.

श्री बृजभूषण शरण सिंह (कैसरगंज) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि गोंडा जनपद में नौ तारीख को वहां के अधिकारियों द्वारा, जो अधिवक्ता, आयुक्त को शांतिपूर्वक ढंग से ज्ञापन देने जा रहे थे, उन्हें पहले पानी की बौछार से रोका गया और जब वे वापस आ गए, तो उनके ऊपर लाठियों से हमला किया गया। इसके कारण 145 अधिवक्ता घायल हैं, जिनमें से कई अधिवक्ताओं की स्थिति गम्भीर है। यही नहीं, उनमें जो पुराने अधिवक्ता थे, जो अपनी लायब्रेरी के चैम्बर में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे, जो उस जुलूस में नहीं गए थे, उन्हें भी पलट-पलट कर मारा गया। उनमें से भी कई अधिवक्ताओं की स्थिति बहुत गम्भीर है। इस घटना पर उत्तर प्रदेश विपक्ष के नेता, श्री शिवपाल सिंह यादव जी रोष व्यक्त करने गए, कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष, श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी जी भी गई थीं। इस मामले को लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग 25 जिलों में वकील आन्दोलनरत हैं।

मान्यवर, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि जब से उत्तर प्रदेश की सरकार बनी है, तब से अब तक 22 अधिवक्ताओं की हत्या हो चुकी है और 14 जगह वकीलों पर बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज हो चुका है। कोई बहुत बड़ा झगड़ा नहीं है। वहां एक नया देवी पाटन मंडल बना है। उस कैम्पस के अंदर कमिश्नर का न्यायालय बनना था। पूर्व सरकार ने स्थान निश्चित कर दिया था, लेकिन वर्तमान सरकार के एक आयुक्त ने यह कह कर के उस स्थान को रिजैक्ट कर दिया कि अगर कचहरी परिसर में कमिश्नर का न्यायालय बन जाएगा, तो लोग ज्यादा आएंगे, क्योंकि जो लोग कलैक्टर के पास मिलने जाएंगे और यदि उन्हें कलैक्टर नहीं मिलेंगे, तो वे आयुक्त से मिलेंगे। इसलिए आयुक्त का कार्यालय वहां नहीं बनना चाहिए। अतः आयुक्त का कार्यालय, कचहरी परिसर में न बन कर के शहर के बीचोंबीच, जहां आवास थे, जहां हरे-भरे पेड़ थे, वहां बन रहा है। बिना किसी परमीशन के पेड़ काटे जा रहे हैं और कार्यालय बन रहा है। इस प्रकार से कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मकान गिराए जा रहे हैं और आयुक्त महोदय, दिन-रात वहां निर्माण कार्य करा रहे हैं। हमारे पड़ौसी सांसद, जगदम्बिका पाल जी और श्री बिन्नू पांडेय जी हैं, वे स्थिति से अवगत हैं। हमारा सारा पूर्वान्चल इस बात को लेकर आक्रोश में है। ...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : सभापति महोदय, बहुत यह गम्भीर मामला है। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : This is a 'Zero Hour' submission, so let there be no interventions. बृज भूषण शरण सिंह जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए।

श्री बृजभूषण शरण सिंह : सभापति महोदय, इस बात को लेकर उत्तर प्रदेश के पूरे अधिवक्ताओं में रोष है, वे हड़ताल कर रहे हैं और आन्दोलनरत हैं। इसलिए मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि इस मामले में हस्तक्षेप करें। यह किसी साधारण आदमी के साथ घटने वाली घटना नहीं है। यह 145 अधिवक्ताओं के घायल होने का सवाल है। उनमें से कई अधिवक्ताओं की हालत गम्भीर है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि इसमें केन्द्र सरकार हस्तक्षेप करे, जो वकील घायल हैं, उन्हें मुआवजा दिया जाए और वहां से आयुक्त महोदय को तुरन्त स्थानांतरित किया जाए। यही नहीं, 500 वकीलों के ऊपर अज्ञात मुकदमा कायम किया गया है और 30 वकीलों को नामजद किया गया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उनके ऊपर कायम किए गए मुकदमे वापस लिए जाने चाहिए, जो दोषी अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें दंड मिलना चाहिए। वकीलों को मुआवजा मिलना चाहिए और केन्द्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Let him complete his submission.

â€¦(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please allow your colleague to complete his submission. Please take your seats. The hon. Member is raising an issue. Please take your seats.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please do not disturb him. The hon. Member is raising an issue. Shri Brijbhushan Saran Singh, you have made your point and, therefore, Please do not repeat. Please take your seat.

श्री बृजभूषण शरण सिंह : सभापति महोदय, मैं एक लाइन में अपनी बात कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करे, इस घटना की रिपोर्ट मंगाई जाए, मुकदमे वापस किए जाएं, मुआवजा दिया जाए और जो अवैध निर्माण जन-भावनाओं के खिलाफ हो रहा है, उसे तत्काल प्रभाव से रोका जाए।